निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 159 / 202
दायरा दिनांक :– 10.01.2022
निर्णय दिनांक :– 12.03.2022

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण आयु 65 वर्ष पुत्र श्री श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण
2. गजानंद आयु 63 वर्ष पुत्र श्री श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण जाति माली निवासीगण शाहबाद वार्ड मुरलीजी के मंदिर के पास बारां जिला बारां

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामगोपाल जाति माली
2. कपिल पुत्र सूरजमल जाति माली
3. नीरज पुत्र सूरजमल जाति माली
4. मदनलाल पुत्र रामगोपाल जाति माली
5. मुन्नीबाई पत्नी पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण(गालव) निवासीगण शाहबाद वार्ड मुरली के मंदिर के पास बारां।
6. गायत्री पुत्री शंकरलाल पत्नी सुरेश जाति माली निवासी गांधी सर्किल के पास मठ धर्मशाला की गली सांगोद जिला कोटा
7. राजश बाई पुत्री रामगोपाल जाति माली निवासी प्रताप चौक बारां पत्नि जगदीश हाल निवासी रघुनाथ रिसोर्ट के पास माथना रोड़ बारां
8. राधेश्याम पुत्र रामगोपाल जाति मालि निवासी नई फलमण्डी क सामने कालेज रोड बारां
9. रामपाल पुत्र रामगोपाल जाति माली
10. लवली पुत्री सूरजमल जाति माली पत्नि मुकेश सैनी नि0 खाल मोहल्ला अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा जि0 कोटा
11. शब्दप्रकाश पुत्र शंकरलाल नाबा0 जर्ये संरक्षक माता हीराबाई पत्नी शंकरलाल जाति माली
12. सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल नाबा0 जर्ये संरक्षक माता हीराबाई पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासीगण शाहबाद वार्ड बारां
13. सावित्री पुत्री शंकरलाल पत्नि राधेश्याम सैनी जाति माली नि0बालाजी मन्दिर के पास अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा कोटा
14. हीराबाई पत्नी शंकरलाल निवासीगण शाहबाद वार्ड मुरलीजी क मंदिर के पास बारां
15. सुमित पुत्र सूरजमल नाबा0
16. हिमांशु पुत्री सूरजमल नाबा0 जर्ये संरक्षक माता [illegible] पत्नी सूरजमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत [illegible]
[illegible] प्राधिकरण बारां।

Scanned with CamScanner

17. सुशीलाबाई पत्नी सूरजमल जाति माली निवासीगण शाहबाद वार्ड मुरलीजी क मंदिर के पास बारां
18. जसवीर कौर पत्नी जनरेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी गैस गोदाम के पास बारां
19. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।
20. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 12.03.2022

अभिभाषक उपस्थित :— 1. ओमप्रकाश मेहता — वादी
2. श्री बृजरासिंह चौहान 1 ता 4, 7 ता 10, 15 ता 17—प्रतिवादी
3. श्री हरिओम चतुर्वेदी 18— प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत्2072—75 खाता संख्या नया 364 पुराना 338 की आराजी खसरा नं0 1285 रकबा 0.36 है0 किस्म चाही—1 लगानी कमशः 9.68 व 3.08 रूप्ये, खसरा नं0 1286 रकबा 0.11 है0 चाही—1 लगानी 4.84 रूप्ये खसरा नं0 1287 रकबा 0.10 बडी लगानी 0.70 रूप्ये खसरा नं0 1516 डहरी रकबा 0.1926 चाही—2 लगानी 7.32 रूप्ये खसरा नं0 1547 रकबा 0.05 है0 चाही—2 लगानी 1. 90 रूप्ये खसरा नं0 1551 रकबा 0.12 है0 चाही—2 लगानी 4.56 रूप्ये कुल किता 6 रकबा 0. 9326 है0 लगानी 32.08 रूप्ये स्थित है। कस्बा बारां की जमाबंदी सम्वत्2072—75 की आराजी खाता संख्या नया 387 पुराना 356 की आराजी खसरा नं0 1284 रकबा 0.15 है0 लगानी चाही—1 जाव लगानी कमशः 5.28 व 0.66 रूपये, खसरा नं0 1288 रकबा 0.13 है0 चाही—1 लगानी 3.52 जाव—1 लगानी 1.10 रूपये, खसरा नं 1488 रकबा 0.1787 लगानी 6.79 रूपये, खसरा नं0 1489 रकबा 0.28 है0 लगानी 10.64 रूप्ये खसरा नं0 1517 रकबा 0.2228 लगानी 8. 47 रूप्ये, खसरा नं0 1518 रकबा 0.0190 लगानी 0.13 रूपये, खसरा नं0 1520 रकबा 0.1313 लगानी 4.99 रूपये, खसरा नं 1521 रकबा 0.03 लगानी 0.21 रूपये खसरा नं0 1548 रकबा 0. 04 है0 लगानी 1.52 रूपये कुल 9 किता कुल रकबा 1.1818 लगानी 43.31 रूपये स्थित है।

कस्बा बारां की जमाबंदी सम्वत्2072—75 खाता संख्या नया 365 पुराना 338 की आराजी खसरा नं0 1563 रकबा 0.13 है0 लगानी 4.94 रूपये, खसरा नं0 1565 रकबा 0.1966 लगानी 7.47 रूपये, खसरा नं 1566 रकबा 0.0019 खसरा नं 1567 रकबा 0.0264 लगानी 0.18 रूपये, खसरा नं0 1568 रकबा 0.730 लगानी 2.77 रूपये, खसरा नं0 1569 रकबा 0.0157 लगानी 0.11 रूपये कुल 7 किता कुल रकबा 0.5736 कुल लगानी 20.41 रूपये स्थित है। कस्बा बारां की जमाबंदी सम्वत्2072—75 खाता संख्या नया 305 पुराना 338 आराजी खसरा नं0 1557 रकबा 0.43 है0 लगानी 16.34 रूपये, खसरा नं0 1558 रकबा 0.57 है0 लगानी 21.66 रूपये, खसरा नं0 1559 रकबा 0.41 है0 लगानी 15.58 रूपये खसरा नं0 1560 रकबा 0.22 है0 लगानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

अध्यक्ष सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत ...
सेवा प्राधिकरण ...

Scanned with CamScanner

8.36 रूपये, कुल किता 4 कुल रकबा 1.63 है0 कुल लगानी 61.94 रूपये स्थित है। कस्बा बारां की जमाबंदी सम्वत्2072–75 का खात संख्या नया 304 पुराना 338 की आराजी खसरा नं0 1561 रकबा 0.03 है0 लगानी 1.14 रूपये, खसरा नं 1562 रकबा 0.33 है0 लगानी 12.54 रूपये कुल 2 किता कुल रकबा 13.68 रूपये स्थित है। जिन्हे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बन्धित किया गया है। वादपत्र की चरण कम 1 ता 5 में वर्णित आराजियात में वादी कम 1 का 1/4 हिस्सा व वादीकम 2 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु प्रतिवादीगण के साथ खाता सम्मिलित होने के कारण वादीगण को अपने खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजियाती में काश्त व्यवस्था करने एवं कृषि ऋण वगैरा एवं अन्या प्रकार से सरकारी सहायता प्राप्त करने में समस्यायें उत्पन्न होती है इस कारण वादीगण अपना खाता प्रतिवादीगण के साथ सम्मिलित नहीं रख सकते इस कारण वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने 1/4, 1/4 हिस्से को पृथक करवाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काशत हैं उसी अनुसार वादीगण मौखिक बंटवारे के आधार पर उनको प्राप्त अपने हिस्से की आराजियात जिस पर काबिज काश्त हैं उसी अनुसार बंटवारा कराकर खाता पृथक पृथक करवाने एवं पृथक से लगान निर्धारित करवाने एवं पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के कई मर्तबा मौखिक रू॰ से अपने अपने हिस्से के अनुसार तहसील बारां में चलकर बंटवारा कराने क निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा टालमटूल की जाती रही व अंतिम रू॰ से दिनांक 1.11.2020 को स्पष्ट रूप से इंकार करने पर अंतिम रूप से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ । वादी एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी के अपने पक्ष के समर्थन में रकल जमाबंछी ग्राम बारां सम्वत 2072–75 खाता सं0 364 नकल जमाबंदी कस्बा बारां सम्वत 2072–75 खाता सं0 365, नकल जमाबंदी कस्बा बारां सम्वत 2072–75 खाता सं0 387, नकल जमाबंदी ग्राम कस्बा बारां सम्वत 2072–75 खाता सं 304, नकल जमाबंदी कस्बा बारां सम्वत 2072–75 खाता सं0 305 पेश की गयी।

राष्ट्रीय लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी गण आने अभिभाषक गण की उपस्थिति में राजीनामा पेश किया गया कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हम अपने–अपने मौके पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उसी कब्जे अनुसार विधिवत विभजन करवा कर अपना–अपना खाता पृथक करवा कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराना चाहते है। मुताबिक राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिकी जारी करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कस्बा बारां कें खाता संद्ध 364, 365, 387, 304, 305 के अनुसार विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी गण के शामलाती खोतदारी में है। वादी एवं प्रतिवादी गण विवादित आराजी की मौके [illegible] एवं हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन करवाकर अलग खाता दर्ज करवाना चाहते है मुताबिक राजीनामा एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी का वाद [illegible] अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

सदस्य

Scanned with CamScanner

(4)

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके कस्बा बारां के खाता सं0 364 के कुल ख0नं0 6 किता रकबा 0.9326 है0, खाता सं0 365 के कुल ख0नं0 7 किता रकबा 0.5736 है0, खाता सं0 387 के कुल ख0नं0 9 किता रकबा 1.1818 है0, खाता सं0 304 के कुल ख0नं0 2 किता रकबा 0.36 है0, खाता सं0 305 के कुल ख0नं0 4 किता रकबा 1.63 है0 का वादी गण एवं प्रतिवादी गण के मध्य मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण बारां। राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

संख्या 159/2020	धारा अन्तर्गत **88,188 आर टी एक्ट,**	निर्णय दिनांक :– 12.03.2022
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री ओम मेहता		अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री हरिओम चतुर्वेदी

वाद शीर्षक

डनवान

1. लक्ष्मीनारायण आयु 65 वर्ष पुत्र श्री श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण
2. गजानंद आयु 63 वर्ष पुत्र श्री श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण जाति माली निवासीगण शाहबाद वार्ड मुरलीजी के मंदिर के पास बारां जिला बारां

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामगोपाल जाति माली
2. कपिल पुत्र सूरजमल जाति माली
3. नीरज पुत्र सूरजमल जाति माली
4. मदनलाल पुत्र रामगोपाल जाति माली
5. मुन्नीबाई पत्नी पुरूषोत्तम जाति गालव निवासीगण शाहबाद वार्ड मुरली के मंदिर के पास बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके कस्बा बारां के खाता सं0 364 के कुल ख0नं0 6 किता रकबा 0.9326 है0, खाता सं0 365 के कुल ख0नं0 7 किता रकबा 0.5736 है0, खाता सं0 387 के कुल ख0नं0 9 किता रकबा 1.1818 है0, खाता सं0 304 के कुल ख0नं0 2 किता रकबा 0.36 है0, खाता सं0 305 के कुल ख0नं0 4 किता रकबा 1.63 है0 का वादी गण एवं प्रतिवादी गण के मध्य मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 12.03.2022 को निर्गत किया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

सदस्य

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner